बिहार सरकार

वित्त विभाग

पत्रांक–अ०मु०स०को०–........................../वि०, पटना, दिनांक–................................

:: आदेश ::

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक–83 दिनांक–09.01.2026 के आलोक में बिहार सरकार के सात निश्चय–3 के सातवें निश्चय ''सबका सम्मान–जीवन आसान'' (Ease of Living) के तहत वित्त विभाग में आमलोगों की शिकायतों को सुनकर उनका त्वरित निराकरण किया जाना है। उक्त के आलोक में अपर मुख्य सचिव से मिलने का समय/स्थान निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :–

दिन	**समय**	**स्थान**
शुक्रवार	11:00 – 01:00	अपर मुख्य सचिव का कार्यालय कक्ष

2. निर्धारित कार्यदिवस को अपर मुख्य सचिव आमलोगों से अपने कार्यालय कक्ष में मिलेंगे। यदि अपर मुख्य सचिव किसी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थिति नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर श्री जय सिंह, भा०प्र०से०, सचिव (संसाधन) अपने कार्यालय कक्ष में आमलोगों से मिलेंगें। यदि सचिव (संसाधन) भी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर श्रीमती रचना पाटिल, भा०प्र०से०, सचिव (व्यय) अपने कार्यालय कक्ष में आम लोगों से मिलेंगे।

3. आगन्तुकों/शिकायतकर्त्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल आदि सुविधाओं को लेखा शाखा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4. आगन्तुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण एवं शिकायतों का सतत् अनुश्रवण प्रशाखा–6 (सूचना का अधिकार एवं जन शिकायत प्रशाखा) द्वारा किया जाएगा।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(चन्द्र प्रकाश)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– अ०मु०स०को०–...121.................................**/वि०, पटना, दिनांक–**...19.01.2026...

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव (संसाधन) के आप्त सचिव/सचिव (व्यय) के प्रधान आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी अवर सचिव/आई०टी० मैनेजर, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने एवं इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

19/1/26.

विशेष कार्य पदाधिकारी।

Prah/ Raja G/ Adesh-2026